झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 19 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीशिव प्रकाश,
ग्रा०+पं०- मैंडरा,
प्र०- नावाडीह, जिला- बोकारो

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, बोकारो

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–19/2023

परिवादी श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह जिला–बोकारो का अपील आवेदन आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

अपीलकर्ता द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के भेंडरा पंचायत के निम्न चार राशन डीलरों के विरूद्ध माह दिसम्बर 2021 का PMGKAY का राशन वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत दर्ज की गईः–

1. दुलारी देवी, अनु0 सं0–1/18
2. सरोज कुमार चौरसिया, अनु0 सं0–102/84
3. मीरा स्वयं सहायता समूह, अनु0 सं0–03/2012
4. जीवन ज्योति स्वयं सहायता समूह, अनु0 सं0–37/2009

अपीलकर्ता द्वारा उक्त मामले में दिनांक–02.02.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर शिकायत की गई थी जिसे संबंधित जिले के DGRO को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। निर्धारित अवधि में उक्त शिकायत पर संबंधित जिले के DGRO द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण अपील दर्ज की गई है। इस बीच DGRO, बोकारो के पत्रांक–691 दिनांक–21.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें भेंडरा पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाभुकों द्वारा शिकायतपत्र में लगाये गये आरोप को बेबुनियाद बताये जाने का उल्लेख है। साथ ही DGRO इस मामले को संचिकास्त करने का प्रस्ताव दिया गया। DGRO, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन शिकायतकर्ता को भेजने पर उनके द्वारा DGRO द्वारा की गई कार्रवाई से असंतोष जताते हुए अपील दर्ज की गई।

अतः मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–16.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx94

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.05.2023	वाद संख्या–19 / 2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा आयोग को एक वीडियो क्लिप भेजा गया है, जिसमें इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि अपीलकर्ता ने जो बातें कही है, वह सत्य नहीं है। गौरतलब है कि अपीलकर्ता ने आयोग को भेजे आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि सम्बन्धित पंचायत में माह दिसम्बर, 2021 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित नहीं किया गया। अपीलकर्ता की उपस्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा यह बताये जाने पर कि मुखिया की उपस्थिति में पणन पदाधिकारी द्वारा जाँच की गई एवं जाँच में ग्रामीणों ने अनाज प्राप्त होने की बात कही है। जिस पर अपीलकर्ता का कहना है कि यदि अनाज वितरित किया गया है, तो इस आशय का Transaction report की प्रति समर्पित की जानी चाहिए। आयोग अपीलकर्ता की बातों से बिल्कुल सहमत है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश देता है कि वीडियो फुटेज के माध्यम से जिन बातों को प्रमाणित करने की कोशिश की गई है उस आशय का अधिकारिक रसीद या दस्तावेज अथवा पोर्टल में मौजूद साक्ष्य पेश किये जाय, अन्यथा आयोग यह मानेगा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने षडयंत्र के तहत् आयोग को गुमराह करने की कोशिश की एवं आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करने को बाध्य होगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx62	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.05.2023 08/06/23	**वाद संख्या–19/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के प्रतिनिधि के रूप में पणन पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने अपने लिखित प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित दस्तावेज आयोग को समर्पित किया। आयोग अपने कार्यालय को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा भेजे गए सम्बन्धित रसीद एवं अन्य ऐसे साक्ष्य जिससे यह प्रमाणित हो रहा हो कि लाभुकों के बीच अनाज वितरित कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज अपीलकर्ता को ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाय। अपीलकर्ता उन दस्तावेजों के विरूद्ध अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहें तो वे लिखित रूप में अपना प्रतिवेदन ईमेल अथवा वाट्सएप्प के माध्यम से आयोग को भेजें एवं अपीलकर्ता के पक्ष पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का पक्ष लेने के लिये अपीलकर्ता का पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को भेज दिया जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो अपना पक्ष 15 जून, 2023 की सुनवाई में रखेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx70	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	**वाद संख्या–19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को सम्बन्धित दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें भेजे गये दस्तावेज के विरूद्ध उन्होंने अपना पक्ष आयोग को वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा है। आज Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने माह दिसम्बर एवं जनवरी में अनाज वितरित किये जाने का जो प्रमाण भेजा है, वह स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता को पूर्व में जो जानकारी दी गई, उसके अनुसार गोदाम से अनाज PDS दुकानदारों को उपलब्ध कराया ही नहीं गया है। अनाज उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद अनाज का वितरण किये जाने का प्रमाण एक षडयंत्र का हिस्सा शिकायतकर्ता बता रहे हैं। शिकायतकर्ता के आरोपों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज NIC के वेबसाईट से प्राप्त किये हैं। आयोग ने दोनों पक्षों के आरोप–प्रत्यारोप के मद्देनजर शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश दिया कि वे दिनांक–22.06.2023 को नावाडीह अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर अपने–अपने पक्ष से सम्बन्धित दस्तावेज तैयार करें। शिकायतकर्ता के आपत्ति आवेदन को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को प्रेषित करने का भी निदेश कार्यालय को दिया जाता है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को आपत्ति आवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं पर अपना पक्ष समर्पित करने का निदेश देता है। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता से बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग कराएँ एवं आयोग को रिकॉर्डिंग भेजें। आयोग उस रिकॉर्डिंग को देख कर अगली सुनवाई में अपना आदेश पारित करेगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–10.07.2023 को रखें। 19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 19/06/23 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx76	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10-07-2023	**वाद सं0–19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडी, जिला–बोकारा Telephonic Conference माध्यम से उपस्थित । द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने आयोग को बताया कि आयोग के निर्देश के आलोक में वे 21.06.2023 को नावाडीह अंचल गयीं थीं। जहाँ शिकायतकर्ता भी आये थे और आयोग के निर्देश के आलोक में शिकायतकर्ता से हुई वार्ता की वीडियो भी बनाई गई थी। लेकिन आयोग के आदेश के आलोक में वो वीडियो आयोग को नहीं भेजा गया है। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने अपनी पुरानी आशंकाओं को पुनः जताया और बताया की जब डीलर के पास स्टॉक नहीं था और उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया था, तो वितरीत कैसे किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर ने अपने बचे स्टॉक से राशन का वितरण किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूरे मामले में आयोग और शिकायतकर्ता दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायकर्ता की असंतुष्टि पर आयोग ने शिकायतकर्ता से यह आग्रह किया कि वो आयोग आ जाए ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा सके। शिकायतकर्ता ने आयोग में व्यक्तिगत उपस्थिति से इन्कार किया। अतः आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पूरे प्रकरण पर साक्ष्य सहित अपना प्रमाण आयोग को भेजें ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पक्ष शिकायतकर्ता को भेज कर शिकायतकर्ता का पक्ष जाना जा सके। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.08.2023 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकरो को सशरीर आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.08.2023 को रखें। Sp 13.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
11.08.2023	अपरिहार्य कारणों से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की तिथि दि० 12.09.2023 को रखें। Sp	

D:\Premlata\Court.docx37

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
23.08.2023	**वाद संख्या–19 / 2023** दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक–12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है। अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 के स्थान पर दिनांक–08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक–08.09.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08-09-2023	**वाद सं0—19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0—भेंडरा, प्र0—नावाडीह, जिला—बोकारो telephone के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो आयोग कार्यालय में उपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई 10.07.2023 को हुई थी, जिसमें आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वो पूरे प्रकरण की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक—1362 दिनांक—28.07.2023 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। न्याय के हित में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्ता को भेजते हुए ये निर्देश देता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अपना पक्ष दिनांक—02.10.2023 से पहले आयोग को भेजें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक—03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक—03.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx42

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
03-10-2023	**वाद सं0–19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं0–भेंडरा, प्र0–नावाडीह, जिला–बोकारो telephone के माध्यम से उपस्थित। पिछली सुनवाई जो दिनांक–08.09.2023 को हुई थी, उसमें आयोग ने शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष प्रेषित करने को निदेशित किया था। शिकायतकर्ता द्वारा अपना पक्ष समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में आयोग इस वाद की सुनवाई 31.10.2023 निर्धारित करते हुए कार्यालय को यह निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजें और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी यह निदेश दिया जाय कि वे शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये पक्ष के विरूद्ध अपना पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx46

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–19 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो अनुपस्थित। आयोग के निर्देश के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। आयोग के विशेष आग्रह पर शिकायतकर्ता ने अगली सुनवाई में आयोग में उपस्थित होने पर अपनी सहमति दी है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश देता है कि इस वाद से सम्बन्धित सभी अभिलेखों के साथ अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थ्ति हों, ताकि शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त आयोग समुचित आदेश पारित कर सके। अगली सुनवाई में यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, तो आयोग उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx111	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.11.2023	**वाद संख्या–19 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो **Telephonic Conference** के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो आयोग कार्यालय में उपस्थित। इस वाद की आयोग में कई सुनवाईयाँ हो चुकी है। पिछले कई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, द्वारा रखे गये तथ्यों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आयोग ने इस वाद की अंतिम सुनवाई आज निर्धारित की थी और शिकायतकर्ता से यह आग्रह किया था कि वे सशरीर उपस्थित होकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यों के विरूद्ध अपना पक्ष रखें। लेकिन शिकायतकर्ता ने आयोग को दिनांक–15.11.2023 को एक लिखित प्रतिवेदन भेज कर सशरीर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की। तत्पश्चात् आयोग ने आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता का पक्ष दूरभाष के माध्यम से सुना। शिकायतकर्ता ने जिला और प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाये हैं और उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। शिकायतकर्ता ने आज की सुनवाई में यह भी आग्रह किया कि जिन 02 **PDS** संचालकों को निलंबित किया गया है, उन्हें बहाल करा दिया जाए और जिन 02 को निलंबित नहीं किया गया है, उन्हें निलंबित करा दिया जाए। शिकायतकर्ता के इस आग्रह पर आयोग ने शिकायतकर्ता को स्पष्ट कर दिया कि **PDS** संचालक को निलंबित करना या उनका निलंबन बहाल करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह शुद्ध तौर पर प्रशासनिक विषय है और ऐसा करने का अधिकार विभाग या विभाग से सम्बन्धित जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों का है। यह प्रशासनिक लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायत है और आयोग के पास जाँच करने की कोई मिशीनरी नहीं है। अतः आयोग शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक–12.06.2023 को भेजे गये प्रतिवेदन एवं आगामी 15 दिनों में यदि शिकायकर्ता का कोई नया प्रतिवेदन आता है, तो उस प्रतिवेदन को विभाग के सचिव को पूरे प्रक्ररण की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने के लिये प्रेषित किया जायेगा। शिकायतकर्ता ने यदि अपना कोई नया प्रतिवेदन नहीं भेजा, तो शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक–12.06.2023 को भेजे गये प्रतिवेदन को उनका अंतिम प्रतिवेदन मान लिया जाएगा। इस वाद में विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेज दी जाएगी, ताकि यदि वे विभाग द्वारा किये गये जाँच से असंतुष्ट रहे तो वे अग्रेत्तर वैधानिक कार्रवाई करने को स्वतंत्र होंगे। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx122	